उत्तराखण्ड राज्य जरिये सचिव

बनाम

शहनाज मिर्जा व अन्य.

(सिविल अपील संख्या 3553-54/2008)

12 मई, 2008

[एस.बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंटा, जे.जे]

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000; संलग्न परंतुक धारा 35(3)/न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971; धारा 12 और 14

अवमानना याचिका में लंबित कार्यवाही को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में अन्तरित करने की प्रक्रिया अवधारितः यद्दपि, नियत दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए रोक लगा दी, लेकिन अधिनियम 2000 की धारा 35(3) से संलग्न परंतुक में एक अपवाद दिया गया है। लंबित अवमानना याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में संख्या द्वितीय अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति देकर अधिनियम की धारा 35(3) के परंतुक के संदर्भ में गलती की है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए था कि वे केस/प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड को उत्तरांचल उच्च न्यायालय अंतरित करते, लेकिन एकल न्यायाधीश भी मामले की सुनवाई जारी रख सकते थे। इस प्रकार उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश अधिनियम 2000 की धारा 35(3) में विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार अपास्त किया गया - यदि उच्च न्यायालय

अवमानना याचिका के गुण-दोष पर विचार करता, तो न्याय के हित की रक्षा होती - चूंकि उत्तरांचल उच्च न्यायालय दूसरी अवमानना याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका को अधिनियम 2000 की धारा 35(3) के प्रावधान के तहत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुनर्जिवित किया गया - भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 142 – क्षेत्राधिकार का प्रयोग प्रत्यर्थीगण/कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया गया था।

कानूनी तौर पर अधिकारियों के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई थी। व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12/14 न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत पेश किया। इस बीच, संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, अधिनियमित किया और नया राज्य उत्तरांचल / उत्तराखण्ड अस्तित्व में आया। अवमानना याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल जज ने प्रत्यर्थीगण को आगे की राहत के लिए उत्तरांचल/उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अधिकारी रिट अदालत द्वारा पारित आदेश को निष्पादित नहीं कर सकते। प्रत्यर्थीगण/उत्तरदातागण ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका पेश की यद्दपि उच्च न्यायालय के द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था, उत्तराखण्ड राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर यह अपील दायर की कि उच्च न्यायालय को अधिनियम 2000 की धारा 35 के तहत इस इस द्वितीय अवमानना प्रार्थना पत्र पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं थी।

अपील कर्ता राज्य ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण का यह तर्क कि इस तरह के प्रकरणों में वाद कारण एक लगातार चलने वाला है और अवमानना अधिनियम की धारा 20 में परिसीमा की रोक इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होग; और उत्तराखण्ड राज्य के पास विशेष अनुमति याचिकाओं को बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और अभिनिर्धारित किया।

1.1 जबकि नियत दिन से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उप धारा (3) से संलग्न प्रावधान इसके अपवाद को उजागर करता है इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने परंतुक को ध्यान में रखते हुए अवमानना कर्ता को मुक्त करने में गम्भीर त्रुटि की। पैरा 9[289- A,B]

1.2 दूसरी अवमानना आवेदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। तकनीकी रूप से ऐसी छूट नहीं दी जा सकती थी। अभिलेखों को उत्तरांचल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम था, लेकिन एकल न्यायाधीश भी मामले की सुनवाई जारी रख सकता था। पैरा 9[287- C,D]

1.3 उत्तराखण्ड राज्य को आदेश का अनुपालन करना आवश्यक है। इस पर और्थिक बोझ पड़ेगा। इस प्रतिवाद की राय है कि वह यहां उठने वाले कानून के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति याचिका की शर्त को बरकरार रख सकता है, क्योंकि यह एक व्यथित व्यक्ति है। पैरा 14[289- B,C]

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का आदेश अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उप धारा (3) के अनुरूप नहीं होने के कारण जाहिर है।

उत्तरांचल राज्य न्यायालय दूसरी अवमानना याचिका पर विचार नहीं कर सकता, परन्तु उक्त आदेश को रद्द करना, अपने आप में न्याय के उद्धेश्य को पूरा नहीं करेगा। यदि एक या दूसरा उच्च न्यायालय अवमानना आवेदन के गुण-दोष पर गौर करेगा तो न्याय मिलेगा। इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत् क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उद्द कर दिया और निर्देश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जाएगी, पुनर्जीवित खड़ा होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय या तो मामले में कार्यवाही जारी रख सकता है या उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही को उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित कर सकते हैं। पैरा 15[289- C,D,E,F]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3553 – 3554/2008

उत्तरांचल उच्च न्यायालय के नैनीताल के सिविल अवमानना संख्या 15/2004 के अंतरिम आदेशों दिनांक 20.12.2004 और 20.07.2005 से

अपील कर्ताओ की और सेः- विजय के.जैन, डॉ जे.एन. दुबे, अनुराग दुबे, अनु साहनी, मीनेश दुबे, ऐसे.के. दीवाकर, एस.आर. सेतिया, सत्यजीत ए. देसाई. अनघा एस. देसाई, वेंकेटेश्वर राव, अनुमोलू और उमोर एन. सूर्यवंशी प्रत्यर्थीगण / उत्तरदातागण की और से।

ऐसे.बी. सिन्हा, जेः

1. इजाजत दी गई।

2. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (संक्षेप में 2000 अधिनियम) के प्रावधानों का आवेदन इन अपीलों में विचार के लिए आता है। जो उच्च न्यायालय

उत्तरांचल, नैनीताल के सिविल अवमानना 8 संख्या 2004 की 14 के निर्णय से उत्पन्न होते हैं।

3. यहां प्रत्यर्थीयों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हलद्वानी, काठगोदाम जिला नैनीताल में स्थित नगरपालिका बालिका इंटरीम बीएड कॉलेज में अपनी सेवाओ को नियमित करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी।

उक्त रिट याचिका को दिनांक 29.05.1997 के एक निर्णय और आदेश द्वारा आंशिक रूप से यह निर्देश देते हुए अनुमति दी गई थी।

(1.) जिन पदों पर याचिका कर्ता पांच वर्षों से अधिक समय से अंशकालिक आधार पर काम कर रहे हैं, उन पर उचित प्राधिकारी व संस्थान के मेनेजमेंट के द्वारा मंजूरी/सृजन के लिए विचार किया जाना चाहिए और यदि रोजगार की आवश्यकता अभी भी मौजूद है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे पदों की आवश्यकता को नोटीफाई करेगा। जितना शीघ्र संभव हो उतनी शीघ्र कानून के अनुसार ऐसे पदों की सृजन के प्रश्न पर विचार करेगा।

(2.) याचिकाकर्ताओ की सेवाएं 58 दिनो या ऐसी किसी सिमित अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त नहीं की जाएगी और रोजगार की आवश्यकता होने तक और यदि पदस्थायी रूप से स्वीकृत नहीं हो जाते हैं, तब तक जारी रहेंगी। जब तक कि प्रत्येक संबंधित पद पर नियमित चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं हो जाता। जब ऐसा कोई पद सृजित स्वीकृत और विज्ञापित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को आयु सीमा के बावजूद संबंधित पद के खिलाफ आवेदन करने का अधिकार होगा।

(3.) जब तक याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सेवा में रहेंगे; उन्हें नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य लाभ दिये जायेंगे। यदि वे समान कार्य कर रहे हैं।

(4.) कहा गया है कि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया हैः उत्तरदातागण/प्रत्यर्थीगण की और से न्यायालय अवमानना अधिनियम 1970 की धारा 12/14 के अन्तर्गत एक आवेदन किया गया था।

(5.) 25.08.2000 को या उसके आस-पास संसद ने अधिनियम 2000 लागू किया। उक्त अधिनियम के कारण नया उत्तरांचल राज्य जिसे अब (उत्तराखण्ड) के नाम से जाना जाता है। अस्तित्व में आया नियत दिन उसमें निर्दिष्ट यानी 09.11.2000

(6.) दिनांक 29.10.2003 के एक आदेश द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्ववान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्देश दिया।

'' इस अवमानना याचिका के लम्बित रहने के दौरान उत्तरांचल राज्य बनाया गया था और अब हलद्ववानी और नैनीताल को उस राज्य में शामिल किया गया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षक प्राधिकरण रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को निष्पादित नहीं कर सकते हैं। इस स्टेज पर आवेदक के लिए उचित उपाय यही है कि वह उत्तरांचल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाये। ''

(7.) इसके बाद प्रत्यर्थियों/उत्तरदातागणों ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की जिसे 2004 की अवमानना याचिका संख्या 15 के रूप में चिन्हित किया गया, जिस पर विचार किया गया।

उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्देश के अनुपालन के लिए समय मांगा गया था। मामला स्थगित कर दिया गया। यह 20.07.2005 को उक्त उच्च न्यायालय

के एक अन्य विद्वान न्यायाधीश के समक्ष आया। इसे एक माह के बाद सूचिबद्ध करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय के द्वारा अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अपील इस आधार पर दायर की है कि अधिनियम 2000 की धारा 35 के मध्येनजर उच्च न्यायालय के पास दूसरे अवमानना आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

(8.) अधिनियम 2000 की धारा 26 नियत दिन से एक अलग उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करती है।

अधिनियम 2000 की धारा 35 इस प्रकार हैं-

‘’35 इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तरांचल उच्च न्यायालय को कार्यवाही का स्थानांतरण

(1.) इसके बाद उपबंधित किये गये को छोड़कर नियत दिन से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानांतरण के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

(2.) नियत दिन से ठीक पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बितऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन से पहले या बाद में, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कार्यवाही के उद्भव स्थान के कारण को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित की जाती है और अन्य परिस्थितियों में,ऐसी कार्यवाही, जिनकी सुनवाई और निर्णय उत्तरांचल के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसेे प्रमाणिकरण के बाद जितनी जिल्दी हो सके, उत्तरांचल के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

(3.) इस धारा की उप धारा (1) और (2) या धारा 28 में किसी बात के होने के बावजूद, लेकिन इसके बाद दिये गये प्रावधानों के अलावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

पास अपीलों पर विचार करना, सुनवाई या निपटान करने का क्षेत्राधिकार होगा, और उत्तरांचल उच्च न्यायालय के पास नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय में अनुमति के लिए आवेदनों, समीक्षा (रिव्यू) के लिए आवेदनों और अन्य कार्यवाही जहां ऐसी कोई भी कार्यवाही नियत दिन से पहले इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में कोई राहत मांगती हैः

बशर्ते कि यदि ऐसी किसी कार्यवाही पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार किये जाने के बाद, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि उन्हें उत्तरांचल के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तो वह आदेश देंगे कि उन्हें इस प्रकार स्थानांतरित किया जायेगा, और उसके बाद ऐसी कार्यवाही तद्नुसार स्थानांतरित कर दी जायेगी।

(4.) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश -

(अ.) नियत दिन से पहले, उप धारा (2) के आधार पर उत्तरांचल उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किसी भी कार्यवाही में, या

(ब.) किसी भी कार्यवाही में जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय उप धारा (3) के आधार पर इलाहाबाद का अधिकार क्षेत्र बरकरार है, सभी उद्धेश्यों के लिए न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में, बल्कि उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा।

(9.) उक्त प्रावधान स्पष्ट एवं सुस्पष्ट है। जबकि नियत दिन से ही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई भी क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया, अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उप धारा (3) के साथ जोड़ा गया प्रावधान एक अपवाद प्रस्तुत करता है।

इसलिए, इलाहाबाद उच्च् न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने, उपरोक्त परंतुक को ध्यान में रखते हुए अवमानना कर्ता को मुक्त करने में गम्भीर त्रुटि की।

दूसरी अवमानना आवेदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसरण में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। तकनीकी तौर पर ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अभिलेखों को उत्तरांचल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश भी मामले की सुनवाई भी जारी रख सकते थे।

(10.) उत्तरदाताओ की और से उपस्थित विद्वान सिनियर काउंसिल डॉ जे. एन. दुबे ने कहा कि इस प्रकृति के मामले में, कार्यवाही का कारण निरंतर रहेगा और न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 20 के तहत परिसीमा की रोक ऐसे मामलों की तथ्यों व परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तराखण्ड न्यायालय के पास विशेष याचिका को बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है।

(11.) हम, इस कार्यवाही में, इस स्तर पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव को निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं, जो अंतिम रूप ले चुका है। हमारा इस प्रश्न में भी शामिल होने का इरादा नहीं है कि क्या न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 20 इस मामले के तथ्यों पर लागू होगी या नहीं। हालांकि, हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय की एक डिविजन बैंच पल्लव सैठ बनाम कस्टोडियन [1989 सप्लीमेंट 2 ऐसे.सी.सी. 418] में ऐसा कहा थाः

‘’7. अधिनियम की धारा 20 के तहत इस आवेदन की परिसीमा के बारे में एक और बिन्दु लिया गया था। धारा 20 में कहा गया है कि कोई भी अदालत अवमानना के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगी, या तो अपनी स्व-प्रेरणा से या अन्यथा, समय सीमा

की समाप्ति के बाद उस तारीख से एक वर्ष की अवधि जिस पर अवमानना किये जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में, वर्तमान आवेदन 03.11.1988 या उसके आस पास दायर किया गया था जैसा कि आवेदन के समर्थन में हल्नामे से पता चलता है।

अवमानना में अन्य बातों के साथ- साथ विद्वान वरिष्ठ उप–न्यायाधीश नारनौल दिनांक 12.02.1988 के आदेश के बल पर कब्जा न देने का कृत्य भी शामिल था। इसलिए, आवेदन एक वर्ष की अवधि के भीतर सही हो गया इस प्रकृति की स्थिति में यदि कब्जा देने में विफलता की अवमानना की कौटी में आती है तो यह लगातार गलत है। अधिनियम की धारा 20 को लागू करने की कोई गुंजाईश नहीं थी।''

(12.) उक्त निर्णय की सत्यता पल्लव सैठ बनाम कस्टोडियन [(2001)7 ऐसे.सी.सी.549] मामले में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष विचार के लिए आई, जिसमें इस न्यायालय ने कहते हुए अपना निर्णय सुनाने से इंकार कर दियाः

48. परिसीमा अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू है। अपीलकर्ता द्वारा की गयी धोखाधडी का खुलासा कस्टोडियन द्वारा आयकर विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर ही हुआ था। उनके पत्र 05.05.1988 के माध्यम से धोखाधड़ी से अवगत होने पर, धारा 20 द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर, 18.06.1998 को अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन पर विशेष न्यायालय के 09.04.1999 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को अपीलकर्ता को अवमानना के लिए दण्डित करने के लिए कारण बताओे नोटिस के रूप में माना गया। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और न्यायालय के अवमानना अधिनियम की धारा 20 की सही व्याख्या के सम्बन्ध में चर्चा के प्रकाश में, यह निष्कर्ष निकलता है कि अवमानना के लिए अपीलकर्ता को दण्डित करने के लिए की गयी कार्यवाही वैद्य थी।

विशेष न्यायालय ने सजा देने में अनावश्यक उदारता बरतने में केवल गलती की है। इन परिस्थितियों में हम नहीं सोचते की यह आवश्यक है कि विशेष न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया वह एक लगातार गलती थी या अवमानना और इसलिए धारा 20 द्वारा अवमानना की कार्यवाही वर्जित है।

(13.) जैसा कि वर्तमान में सलाह की गयी है, इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं।

(14.) हालांकि, हम डॉ. दुबे की इस दलील से सहमत नहीं है कि उत्तराखण्ड राज्य के पास आवेदन को बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है कि अवमानना याचिका व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गयी है, हालांकि, वे अदालत की अवमानना धारा 19 के संदर्भ में इस अपील को बरकरार नहीं रख सकते थे क्योंकि न तो कोई सजा का कोई आदेश पारित किया गया है और न ही कोई अंतिम आदेश अभी तक पारित किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य को आदेश का अनुपालन करना आवश्यक है। इस पर औार्थिक बोझ पड़ेगा, कानून का बोझ पड़ेगा, इसलिए, हमारी राय है कि यह यहां उतपन्न होने वाले कानून के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति याचिका को बरकरार रख सकता है, क्योंकि अन्यथा यह एक व्यथित व्यक्ति है।

(15.) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 29.10.2003 का आदेश अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उप धारा (3) के अनुरूप नहीं होने के कारण जाहिर तौर पर उत्तरांचल उच्च न्यायालय दूसरी अवमानना याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। लेकिन, उक्त आदेश को रद्द करना अपने आपने आप में, न्याय के उद्धेश्यों को पूरा नहीं करेगा यदि एक या दूसरा उच्च न्यायालय अवमानना आवेदन के गुण-दोष पर गौर करेगा तो न्याय मिलेगा इसलिए, हम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च

न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2003 के आदेश को रद्द करते हुए, आदेशित आदेशों को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही फिर से शुरू की जायेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय या तो मामले में कार्यवाही जारी रख सकता है या उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही को उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित कर सकते हैं।

(16.) उपरोक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती हैं। बिना किसी खर्चे के अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरीता यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।